

28.02.2024

पञ्जावली पेश हुई। वकील

उभय पक्ष उभय वकील द्वारा  
Not present हुए प्रकरण को withdraw  
करने का निर्देश किया। वकील द्वारा  
का प्रकरण को नहीं चलाने का निर्देश  
स्वीकार किया जाता है। वकील द्वारा  
द्वारा विचारार्थी प्रकरण को withdraw  
करने के कारण यह प्रकरण इसी स्टेज  
पर खारिज किया जाता। पञ्जावली  
फैसला शुक्रादि होकर नम्बर से भी  
भी जांच दाखिल दफतर है।

जिला कलेक्टर  
हनुमानगढ़



Not present  
28/2/24  
हनुमानगढ़